UPSN060000271995

न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०) द्वितीय, भदोही–ज्ञानपुर

पीठासीन अधिकारी (शिंजिनी यादव) (उ० प्र० न्यायिक सेवा–UP03473)

मूल वाद संख्या 126/1995

01. जगदीश नारायण पुत्र श्री राजितराम

02. हरकेश्वर पुत्र रामदेव

निवासीगण–मौजा ख्योखर, ता०–कोढ, पोस्ट–अभोली, जिला–भदोही।

.....वादीगण

बनाम

01. उत्तर प्रदेश सरकार जरिये श्रीमान् कलेक्टर साहब भदोही।

02. जयराम पुत्र रामहरख

03. रामअयुग पुत्र माताहरख

03/1. ब्रह्मदेव मिश्र पुत्र रामअयुग

03/2. राजेश्वरप्रसाद मिश्र पुत्र रामअयुग

03/3. देवी प्रसाद मिश्र पुत्र रामअयुग

निवासीगण मौजा ख्योखर, ता०–कोढ, तहसील–ज्ञानपुर, जनपद–भदोही।

04. गांव सभा ख्योखर, ता०–कोढ, जिला–भदोही बजरिये प्रधान गांव सभा ख्योखर ता० कोढ, परगना व जिला भदोही

.....प्रतिवादीगण

–निर्णय–

01. प्रस्तुत दावा वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध हुक्म –ए–इम्तिनाई के अनुतोष हेतु योजित किया गया है।

02. वाद पत्र 6 क के माध्यम से वादीगण द्वारा यह कथन किया गया है कि नक्शा नजरी जायदाद नेजाई में दीगर अशयाय जो बनम्बर ८१६ वाका मौजा ख्योखर मजकूर है बगरज इन्केसाफ हाल मुकदमा दर्ज किया जाता है। जायदाद नेजाई अक्षर ए बी सी डी से जाहिर किया गया है। जमीन ए बी सी डी मुन्दर्ज नक्शा जैल अरजी नालिश पर जायद अज़ २५ साल से जमाना पेदर मुद्दई नंबर १ से उस पर दरख्तान कोठ

बांस मड़हा घूर आदि कायम चला आ रहा है और जरूरत पर खाली जगहों पर बारात आदि टिका करती रही है। इस तरकी पर जमीन ए बी सी डी मुन्दर्ज नक्शा अरजी नालिश में नीब, बैर, बेल अमरूद वाद में मुद्दई नंबर १ ने लगाया है और साविक बदस्तूर मड़हा घूर आदि कायम चले आ रहे है और जमीन मजकूर से एक रास्ता भी निकला है जो नक्शा नजरी में जाहिर कर दिया गया है। मुद्दालेहुम या किसी दीगर व्यक्ति को विवादित जायदाद ए बी सी डी में किसी प्रकार का कोई हक कायम व बाकी नही है। जुमला मुद्दालेहुम बसाजिश एक दीगर होकर कब्जा दखल मुद्दई नंबर १ निस्वत दरख्तान घूर, कोठ बांस, मड़हा, उपरौर विला व अधिकार बतारीख–११–३–९५ से करना शुरू किया और यह धमकी देने लगे कि मुद्दई नंबर १ का दरख्तान काट लेंगे और मड़हा व धूर आदि उजाड़ कर फेंक देंगे और उपली वगैरह नही पाथने देंगे। उसके पहले मुद्दालेह नंबर ३ ने गलत कार्यवाही बसेगा माल किया था जिसका उचित कार्यवाही चल रही है और मुद्दालेह नंबर ३ के किये गये अवैध कार्य समाप्त कर दिये गये। अब मुद्दालेह नंबर ३ मुद्दालेहुम १ व २ को साजिश में करके अवैध कार्यवाही अमल में ला रहे है अगर वे अपने फेल बेजा में कामयाब हो जावेंगे तो मुद्दई नंबर 1 का ऐसा नुकसान होगा जिसकी पूर्ति रूपयों से या अन्य किसी प्रकार से नही हो पावेगी और यदि रास्ता बन्द कर देवेंगे तो गांव वालों का आना जाना बंद हो जायेगा। ऐसी सूरत में मुद्दइयान दावा रिप्रेजेंटेटिव कैपिसिटी में बाबत रास्ता भी दायर कर रहे है और रास्ता मजकूर के निस्वत दावा रिप्रेजेंटेटिव व बकिया अशयाय मौकूवा जमीन नेजाई मुद्दई नंबर 1 अपने पर्सनल कैपिसिटी में दायर कर रहा है और मुद्दईयान को एकसाथ दायर करने का हक हासिल है। वादी ने बवक्त प्रस्तुत करने वाद पत्र प्रधान मौजा को व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाया था क्योंकि वे व्यक्तिगत रूप से विवादित भूमि में व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे परंतु अब चूंकि वे प्रधान गाव सभा की हैसियत से व्यवधान उत्पन्न करने लगे अतएव उन्हे नोटिस धारा १०६ पंचायती राज एक्ट देने के बाद प्रतिवादी बनाया गया है। उन्हें विवादित भूमि में कोई भी अधिकार आगम स्वत्व या अध्यासन हासिल नही है। मुद्दइयान ने मुद्दालेहम से कई मर्तवा विलआखिर बतारिख १२–३–९५ ई० कहा व कहलवाया कि वे रास्ता अंदर जमीन नेजाई बंद न करे और घूर उपरौर मड़हा मुद्दई नंबर १ क्षतिग्रस्त न करें और दरख्तान कोठ बांस मुद्दई नंबर १ से मुस्तफीद होने में कोई रुकावट न डाले और न उन्हें काटे मगर वे बराबर हीला हवाला करते चले आये विल आखीर बतारीख १२–३–९५ ई० कतई मुनकिर हो गये लिहाजा जरूरत

नालिश हाजा की पैदा हुई। दावा रिप्रेजेंटेटिव रूप से दायर हो रहा है ऐसी सूरत में मामला जरूरी होने के कारण नोटिस हसब दफा ८० जाप्ता दीवानी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार देने से मजबूरी है अगर इस बीच वे कोई रद्दो बदल कर देंगे तो मुद्दईयान का नुकसान होगा लिहाजा दावा विला नोटिस हसब दफा ८० जाप्ता दीवानी दिये दायर किया जा रहा है अलग से बरी करने की दरख्वास्त दी जा रही है। बुनाय मुखासिमत नालिश हाजा तारीख ११–३–९५ देने धमकी १२–३–९५ योम इनकार आखीर कायम रखने यथा स्थिति जायदाद नेजाई व नीज योम इंकार आखीर न करने मजाहित व मुदाखलत मौकूवा जायदाद नेजाई मुद्दालेहुम से अंदर हदूद अरजी इलक्का अदालत हाजा पैदा हुई और अदालत हाजा को अख्तियार समायत हासिल है। तायून नालिश बगरज अख्तियार समायत अदालत मु० २०० रूपया मालियत जायदाद नेजाई व २०० रूपया मालियत बांस कोठ १०० रूपया मालियत मड़हा उपरौर घूर व १००० रूपया मालियत दरख्तान जुमला मुवलिग १५०० रूपया है और उसके १/५ मु० ३०० रूपया पर मुबलिग ३५ रूपया रसूम वावत हुक्म–ए–इम्तिनाई दवामी मुद्दइयान अदा करते है। वेन वरा मुद्दइयान दादख्वाह अमूर जैल के है। अलिफ–डिगरी हुक्म–ए–इम्तिनाई दवामी बहक मुद्दइयान खिलाफ मुद्दालेहुम इस अम्र से सादिर फरमाई जावे कि वे बजमाना हाल या आइन्दा जमीन ए बी सी डी मुन्दर्ज नक्शा जैल अरजी नालिश में स्थित रास्ता को बंद न करें और उसमें स्थित दरख्तान बांस कोठ घूर उपरौर मुद्दई नंबर १ निस्वत कोई मजाहिमत या मुदाखलत न करें न मड़हा क्षतिग्रस्त करें और उनकी यथास्थिति कायम रहें। बे– खरचा मुकदमा बहक मुद्दइयान खिलाफ मुद्दालेहुम आयव हो।

03. **प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा** अपने जवाब दावा 113 क के माध्यम से यह कथन किया गया है कि आ०नं० 816 रकबा तीन बिस्वा 15 धूर माल कागजात खतौनी में नयी परती तथा जोत आकार पत्र 41 के विवरण विशेष में सामान्य आबादी हेतु सुरक्षित करके दर्ज कागजात माल है। आ०नं० 386 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा 4 धूर खतौनी में प्रतिवादी सं० 3 रामअयुग पुत्र माताहरख के नाम संक्रमणीय भूमिधर करके दर्ज है जिसमें से गांवसभा द्वारा गांव के निकास के लिये आ०नं० 386 से सड़क निकालना अनिवार्य था। चूंकि आ०नं० 386 से सड़क निकालना गांव के रास्ते के लिये अनिवार्य था क्योंकि वहां और जमीन उपयुक्त इस कार्य के लिये नही थी और उक्त जमीन प्रतिवादी नं–03 की संक्रमणीय भूमिधरी थी इसलिए

सार्वजनिक हित में प्रतिवादी सं० 3 के समक्ष गांव वालों ने प्रस्ताव रखा था कि वह अपनी जमीन सड़क के लिए देवें और जितनी जमीन गांव सभा के हित में सड़क हेतु देवें उतनी जमीन गांव सभा की वह ले ले जिसपर प्रतिवादी नं 3 सहमत हुआ और तब ग्राम सभा द्वारा सार्वजनिक हित मे प्रस्ताव दिनांक 15–12–93 को किया गया कि आ० नं० 386 से जो रकबा–03 बिस्वा 15 धूर लिया गया है उसके बदले में आ०नं० 816 आ०नि० में जो 3 बिस्वा 15 धूर रकबा का था ही मुद्दालेह नं 3 को Exchange करके दे दिया जाय इससे गांव के निकास हेतु सड़क भी बन जायेगी और मुद्दालेह नं 3 का नुकसान भी नही होगा। गांव सभा के उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए श्रीमान् परगनाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 15–3–95 ई० को Exchange कर दिया गया और उसके मुताबिक आ० नि० 816 रकबा 3 बिस्वा 15 धूर प्रतिवादी नं० 3 को दे दिया गया तथा प्रतिवादी नं० 3 की भूमिधरी जमीन आ०नं० 386 के 3 बिस्वा 15 धूर रकबा को ग्राम सभा सड़क में देकर गांव सभा द्वारा सार्वजनिक हित में सड़क बनवा दी गयी। वादी ने परगनाधिकारी महोदय के आदेश से क्षुब्ध होकर श्रीमान् कमिश्नर महोदय के यहां परगनाधिकारी के आदेश दिनांक 15–2–95 के विरूद्ध निगरानी दाखिल करके स्थगन आदेश प्राप्त किया है जिससे उक्त आदेश की अमल दरामद कागजात माल में नही की जा सकी है और उक्त निगरानी अभी विचाराधीन है और उक्त आदेश पारित होने के पहले ही गांव सभा द्वारा सड़क का निर्माण हो गया था। आ०नि० में एक रास्ता दक्षिणी किनारे से जाता है जो आज भी कायम है शेष कथन वादी कि उस पर कोई मड़हा आदि उसका मौजूद ही गलत है। वादी ने दावा दाखिल करते समय जयराम जो ग्राम प्रधान है को व्यक्तिगत हैसियत से फरीक मुकदमा बनाकर महज इस नीयत से कि उसे दफा 106 उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम की नोटिस जो स्वयं में आदेशात्मक है और उससे छूट का कोई प्रोविजन किसी कानून में नही है न देना पड़े जबकि उक्त जयराम नें आ०नि० के बाबत प्रस्ताव ग्राम प्रधान की हैसियत से किया था और सड़क का निर्माण भी ग्रामसभा वालों के हित में ग्राम प्रधान के हैसियत से ही कराया था। व्यक्तिगत रूप से उसका कोई अवरोध बाबत आ०नि० नही था इसलिए दावा में Misjoinder of necessary parties का मसला आरिज है। चूंकि ग्राम प्रधान द्वारा पहले से ही सारी कार्यवाही बाबत प्रस्ताव व Exchange की गयी थी लेकिन उसे नोटिस न दिया जाना या उसे फरीक मुकदमा न बनाया जाने से दावा में Nonjoinder of necessary parties का मसला आरिज है। दावा दाखिल

किये जाने के बाद जबकि Cause of Action पहले से ही व्याप्त हो गांव सभा को नोटिस दिया जाना और उसे फरीक मुकदमा बनाये जाने से दफा धारा 106 उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम, 1947 की मंशा का पालन नही होता और मात्र इसी बात पर उ० प्र० पंचायती राज अधिनियम की नोटिस हस्व दफा 106 न दिये जाने का दोष व्याप्त होने की वजह से दावा मुद्दईयान काबिल खारिजा के है। वाद में दफा 80 C.P.C. की नोटिस बजाफ्ता न दिये जाने का भी दोष व्याप्त है जिससे भी दावा खारिज होने योग्य है। आ०नि० Exchange के पहले कागजात माल में नयी परती करके दर्ज होने की वजह से गांव सभा की सम्पत्ति थी और उसे गांव सभा के हित में प्रयोग करने हेतु प्रतिवादी उ०प्र० राज्य व गांव सभा सक्षम है। वादी कोई अनुतोष प्राप्त नही कर सकता। आ०नि० नवीन परती करके दर्ज है इसलिये उस पर स्वत्व सम्बन्धी कोई अधिकार देने का अधिकार क्षेत्र दीवानी न्यायालय को नही है तथा वाद दफा 331 व 331A उ०प्र० जमींदारी वि० अ० से बाधित है। व वजूहात उपरोक्त दावा वादीगण हर आइना काबिल होने खारिज मय खर्चा के है और प्रतिवादी मुश्तहक पाने अपने खर्चा व खर्चाखास के है।

04. **प्रतिवादी संख्या–3** द्वारा अपने जवाब दावा **कागज संख्या 52 क** के माध्यम से कथन किया गया है कि मुद्दईयान ने दावा हाजा गलत बयानात के साथ रंजिशन बिला वजह मुद्दालेह मुजीब को हैरान व परेशान करने के गरज से दाखिल किया है जिसकी कोई असलियत नही है। मुद्दईयान के जानिव से गलत व नामुक्कमल नक्शा नजरी मौके के विपरीत अरजी नालिश में मुन्दर्ज किया गया है सही सही नक्शा नजरी बलिहाज मौका मुद्दालेह मुजीव के जानिव से तहत बयान तहरीरी मुन्दर्ज किया जाता है जिससे आली राय अदालत होगी। आराजी निजाई हरूफ ए बी सी डी मुन्दर्ज नक्शा नजरी अरजी नालिश पर जायद अज 25 साल से वजमाना पेदर मुद्दई न० 1 के उस पर दरख्तान बांस कोठ मड़हा घूर आदि कायम नही रहा है न ही आराजी निजाई के स्थित किसी असयाय से मुद्दईयान अथवा मौजा मजकूर के किसी शख्स के उक्त असयाय से कोई वास्ता सरोकार न कभी था है न ही आराजी निजाई में कोई बारात ही टिकती है। आराजी निजाई में कोई दरख्त अथवा बांस कोठ मुद्दई नं० 1 अथवा पेदर मुद्दईन ने कभी नसव नही किया न ही आराजी निजाई हरूफ ए बी सी डी मुन्दर्ज नक्शा नजरी में कोई रास्ता कभी रहा न है न ही कोई मड़हा वादी का आराजी निजाई में कभी रहा बल्कि आराजी निजाई हरूफ ए बी सी डी मुन्दर्ज नक्शा नजरी अरजी नालिश में मुद्दालेह मुजीब ने कोठ बांस दरख्तान

नीम अमरूद बेल आदि नसव किया है तथा बांस कोठ व दरख्तान के फल फूल व लकड़ी से मुद्दालेह मुजीव मुस्तफीद होता चला आ रहा है और आराजी निजाई में मड़हा 30 वर्ष पूर्व मुद्दालेह मुजीव ने बनवाया था और उक्त मड़हे पर मुद्दालेह मुजीब काबिज दखील चला आ रहा है घूर उपरौर भी होता है तथा और भी मजीद तामीरात मुद्दालेह के आराजी निजाई में थे जिसे नायव तहसीलदार द्वारा हटवाया जा चुका है। मगर दरख्तान को नही हटाया गया न ही नाद खूटा चरनी और मुद्दालेह मुजीव का कब्जा दखल संपूर्ण आराजी निजाई व उसमें स्थित असयाय पर अलानिया तौर पर साविक बदस्तूर कायम चला आ रहा है जिससे मुद्दईयान अथवा अन्य किसी शख्स मौजा मजकूर से कोई वास्ता व सरोकार अथवा कब्जा दखल न कभी था न है। हरगिज आराजी निजाई में कोई रास्ता न कभी था न है। महज सार्वजनिक हित दर्शाने हेतु फरजी व बनावटी तरीके से दावा हाजा हस्वा आदेश 1 नियम 8 जाप्ता दीवानी के तहत दाखिल किया गया है मुद्दईयान के मकान का मुहारा व सेहन जानिव उत्तर है और मुद्दइयान अपने मकान से निकलकर अपने सेहन से होते हुए उत्तर की तरफ अपने खेत से होकर नाली ट्यूबवेल के दक्षिण स्थित चकरोड से आते जाते है कोई घूर उपरौर नीम अमरूद बेल बांस कोठ अथवा मड़हा था अन्य असयाय मुद्दईयान के आराजी निजाई में न कभी थे न है। असल मामला यह है कि आराजी निजाई 816 रकबा 3 बिस्वा 15 धूर वाका मौजा ख्योखर कागजात माल में नवीन परती करके दर्ज रही है। मुद्दालेह की आ०नं० 386 मौजा ख्योखर में से ग्राम पंचायत द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आम रास्ता निकाला गया था जिस पर ग्राम पंचायत ख्योखर द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया कि उक्त 386 नंबर में मुद्दालेह को आराजी के बदले में आराजी नं० –816 का रकबा मुद्दालेह को दे दिया गया। न्यायालय श्रीमान् परगनाधिकारी महोदय ज्ञानपुर के द्वारा मुकदमा नं० 1 सन् 1994 गांव सभा ख्योखर बनाम रामअयुग में पारित निर्णय द्वारा आराजी निजाई 816 रकबा 3 बिस्वा 15 धूर का विनिमय मुद्दालेह मुजीब की आराजी नं० 386 से कर दिया गया और श्रीमान् परगनाधिकारी का उक्त निर्णय दिनांक 15–2–1995 के अनुसार कागजात माल में बकायदा व बाजाफ्ता नामांतरण कार्यवाही भी हो चुकी है और आराजी निजाई भूमिधरी आराजी मुद्दालेह हो चुकी है। इस प्रकार निर्णय श्रीमान् परगनाधिकारी महोदय कत्तई हो चुका है और मुद्दालेह मुजीब आराजी निजाई पर बतौर मालिक विला सिरकत गैरे काबिज दखील आबाद है। मुद्दालेह मुजीब अथवा दीगर मुद्दालेहुम ने बतारीख 11–3–1995 हरगिज कोई

धमकी मुद्दईयान को नही दिया न तो धमकी देने का सवाल ही पैदा होता है क्योंकि आराजी निजाई अथवा उसमें स्थित दरख्तान अथवा मड़हा व अन्य असयाय से मुद्दईयान से कोई वास्ता व सरोकार न कभी था न है इस प्रकार बनाय मुखासिमत करार दादह मुद्दईयान झूठा व बनावटी है। मुद्दालेह मुजीब ने हरगिज कोई गलत कार्यवाही वसेगा माल नही किया था बल्कि मुद्दालेह मुजीव ने बदलवन की कार्यवाही मुताबिक कानून जमींदारी एवलिशन एक्ट के किया था और न्यायालय श्रीमान् परगनाधिकारी महोदय द्वारा सही तौर पर निर्णय दिया जाकर उक्त कार्यवाही फाइनल होकर मुद्दालेह मुजीब का नाम कागजात माल में दर्ज हो चुका है। हरगिज दीगर प्रतिवादीगण, प्रतिवादी से साजिश में कभी नही रहे है न ही उनके जानिव से कोई धमकी मुद्दईयान को कभी दी गयी है उन्हें बिला वजह फरीक मुकदमा करार दिया गया है तथा मुद्दईन नं० 2 को बिला वजह फरीक मुकदमा करार दिया गया है इसलिए दावा मुद्दईयान में मसला मिस ज्वाइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टीज का आरिज है। प्रतिवादीगण ने बसाजिश एक दिगरे होकर कोई अवैधानिक कार्यवाही नही किया है न ही कोई रास्ता ही आराजी निजाई में वादपत्र के कथनानुसार स्थित रहा है न ही ऐसी परिस्थितियों में मुद्दईयान का कोई नुकसान होने का सवाल नही पैदा होता है। दावा हाजा के ग्राम सभा ख्योखर फरीक मुकदमा नही करार दिया गया है जबकि आराजी निजाई नवीन परती ग्राम पंचायत ख्योखर की रही है इसलिए दावा हाजा में मसला नान ज्वाइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टीज का आरिज है। दावा हाजा जिस तौर पर दाखिल किया गया है आदेश 1 नियम 8 जाप्ता दीवानी के तहत कानूनन मेंटनेबल नही है। जायदाद निजाई व उसमें स्थित दरख्तान बांस, कोठ, मड़हा, नाद, खूंटा, चरखी की मालियत बरवक्त दाखिला दावा 50,000/– रूपये से कम नही रही है इस तरीक पर कोर्ट फीस अदा करदा मुद्दईयान नाकाफी है और अदालत हाजा को अख्तियार समायत हासिल नही है। दावा हाजा के जरिये मुद्दई नं० 1 अदालत हाजा द्वारा टाइटिल निर्धारित कराना चाहता है इसलिए मुद्दालेह नं० 1 को फरीक मुकदमा करार दिया है इसलिए दावा वादी दफा 331 जमीनदारी विनाश उन्मूलन से बाधित है। दावा वादीगण मेला फाइड बेग फॉल्स प्रिविलस जो हर आइना काबिल खारिज के है। वादीगण हमेशा से मुद्दालेह मुजीव को जायदाद निजाई पर काबिज दखील देखते व मानते चले आये और कोई व्यवधान मुद्दालेह मुजीब के कब्जे के बाबत नही किया इसलिए दावा वादी विवंधान एवं मौन स्वीकृति के सिद्धांत से बाधित है। उपरोक्त परिस्थितियों में दावा वादीगण सव्यय खारिज होने योग्य है।

मुद्दालेह मुजीब पाने खर्चा मुकदमा व खर्चा खास दफा 35 अल्लीफ जाप्ता दीवानी है।

05. दिनांक 20/08/2001 को प्रतिवादी संख्या–02 व 04 के विरूद्ध जवाबदावा दाखिल न करने के कारण वाद की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की गयी।

06. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर दिनांक 08/11/2001 को निम्नलिखित वाद बिंदु विरचित किये गये है–

1. क्या विवादित भूमि खण्ड ए बी सी डी रास्ते की जमीन है और विवादित भूमि खण्ड में स्थाई निषेधाज्ञा पाने का वादी अधिकारी है?
2. क्या दावा में आवश्यक पक्षकार न बनाये जाने का दोष है?
3. क्या दावा वादी दफा 331 जेड०ए० एक्ट से बाधित है?
4. क्या दावा वादी ऑर्डर 1 नियम 8 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बाधित है?
5. क्या वाद मालियत कम एवं प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
6. क्या दावा वादी दफा 80 सी०पी०सी० से बाधित है?
7. क्या दावा दफा 106 यू०पी० पंचायत राज अधिनियम से बाधित है?
8. क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को पाने का मुश्तहक है?

07. अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में वादी की ओर से **फेहरिस्त कागज संख्या–64** ग के माध्यम से रजिस्ट्री रसीद दिनांकित 26/02/1998 कागज संख्या–65 ग, **फेहरिस्त कागज संख्या–12 ग** के माध्यम से प्रमाणित उद्धरण खतौनी भूमि संख्या 816 रकबा 03 बिस्वा 15 धूर–कागज संख्या–13 ग , **फेहरिस्त कागज संख्या–106 ग** के माध्यम से नकल आदेश दिनांक 16/02/1995 द्वारा अपर आयुक्त वाराणसी, आदेश दिनांकित 15/03/1995 एवं नकल इंतखाब खतौनी कागज संख्या–107 ग, **फेहरिस्त कागज संख्या– 16 ग** के माध्यम से आदेश दिनांकित 08/12/2004 द्वारा अपर आयुक्त (न्यायिक) विंध्याचल मण्डल, मीरजापुर एवं आदेश दिनांकित 15/02/2005 द्वारा न्यायालय राजस्व परिषद उ०प्र० इलाहाबाद की सत्यापित प्रतिलिपियां, **फेहरिस्त कागज संख्या–318 ग** के माध्यम से आदेश दिनांकित 19/05/2015 द्वारा न्यायालय राजस्व परिषद उ०प्र०, इलाहाबाद कागज संख्या –319 ग एवं आदेश दिनांकित 03/07/2015 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद– कागज संख्या–320 ग, **फेहरिस्त कागज संख्या–413 ग** दिनांकित 06/01/2018 के माध्यम से सत्यापित प्रतिलिपि

जो०च० आकार पत्र कागज संख्या–414 ग, **फेहरिस्त कागज संख्या–327 ग** के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद आदेश दिनांक 17/08/2016 कागज संख्या–328 ग/2 व आदेश दिनांकित 16/08/2016 कागज संख्या–328 ग/3 की प्रतिलिपि, **फेहरिस्त कागज संख्या–398 ग** के माध्यम से प्रमाणित प्रतिलिपि आंशिक भूचित्र ग्राम ख्योखर तालुका कोढ तहसील ज्ञानपुर जनपद भदोही की सत्यापित प्रतिलिपि–कागज संख्या–399 ग , **फेहरिस्त कागज संख्या–407 ग** के माध्यम से फोटोग्राफ कागज संख्या–408 ग व उद्धहरण खसरा कागज संख्या–409 ग/1 व उद्धहरण खतौनी फसली वर्ष 1425–1430 कागज संख्या 409 ग/2 दाखिल किया।

08. अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में प्रतिवादीगण की ओर से **फेहरिस्त कागज संख्या–86 ग** के माध्यम से आदेश दिनांक 15/02/1995 की सत्यापित प्रतिलिपि कागज संख्या–87 ग, **फेहरिस्त कागज संख्या–340 ग** के माध्यम से एक अदद मूल प्रश्नोत्तरी जारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय़ इलाहाबाद रिट संख्या 36254 सन् 2015 दिनांकित 06/09/2016, **फेहरिस्त कागज संख्या–404 ग** के माध्यम से एक अदद उद्धहरण खसरा भूमि संख्या –816, दिनांकित 11/02/2023 कागज संख्या–405 ग को दाखिल किया।

09. वादीगण द्वारा बतौर मौखिक साक्ष्य पी०डब्ल्यू० –1 जगदीश नारायण पुत्र श्री राजितराम व पी०डब्ल्यू०–2 राजकुमार पुत्र कन्हैयालाल का साक्ष्य शपथपत्र दाखिल किया। पी०डब्ल्यू०–1 से दिनांक 14/12/2010, 06/07/2011, 02/04/2012, 13/04/2012, 03/05/2012, 26/07/2012, 06/10/2012,14/12/2012, 28/05/2013 व 14/07/2016 को जिरह की गयी। साक्षी पी०डब्ल्यू० –02 राजकुमार पुत्र कन्हैयालाल से दिनांक 23/10/2018 को जिरह की गयी। दिनांक 05/03/2019 को वादीगण द्वारा अन्य साक्ष्य न देने का पृष्ठांकन करने के उपरांत वादीगण का साक्ष्य समाप्त किया गया।

10. प्रतिवादीगण द्वारा बतौर मौखिक संख्या डी०डब्ल्यू०–01 देवीप्रसाद पुत्र रामअयुग, डी०डब्ल्यू०–2 अजय कुमार पाण्डेय पुत्र बालदत्त पाण्डेय व डी०डब्ल्यू०–03 रामचंद्र उर्फ पट्टर पुत्र आदिनाथ का साक्ष्य शपथपत्र दाखिल किया। डी०डब्ल्यू०–01 से दिनांक 24/04/2019, 15/07/2019 व 19/10/2019 को जिरह की गयी और डी०डब्ल्यू०–2 अजय कुमार पाण्डेय से दिनांक 06/01/2020 को

जिरह की गयी जिसके उपरांत दिनांक 04/01/2023 को प्रतिवादीगण द्वारा अन्य साक्ष्य न देने का पृष्ठांकन करने के उपरांत प्रतिवादीगण का साक्ष्य समाप्त किया गया।

11. वादी द्वारा निम्नलिखित विधि व्यवस्था दाखिल की गयी।

1. रामे गोवड़ा (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम एम० वाराडप्पा नायडू (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य ए०आई०आर० 2004 माननीय उच्चतम न्यायालय– 4609
2. राजेश्वर गुप्ता एवम् अन्य बनाम गौरी देवी एवं अन्य 2017 (134) आर०डी 34 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद
3. हरिशंकर चौबे एवम् अन्य बनाम उपसंचालक चकबंदी भदोही एवं अन्य 2015 (127) आर०डी 598 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद

12. प्रतिवादी संख्या–03 द्वारा निम्नलिखित विधि व्यवस्था दाखिल की गयी है।

1. पारसराम बनाम सुखदेव प्रसाद एवं अन्य AWC –1980 पेज नं०–661
2. शांती बाई बनाम नर्बदा एवं अन्य आर०डी० 2020 (146) पेज नं०–308

13. प्रतिवादी संख्या–01 उ०प्र० राज्य की ओर से निम्नलिखित विधि व्यवस्था दाखिल की गयी है।

(1) आर०डी 1993 पेज–59, फिरंगी बनाम देवी प्रसाद (माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद)

(2) आर०एल०टी० 2008, पेज–326. नरेंद्र सिंह बनाम सरदार स्वर्ण सिंह (माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद)

(3) ए०सी०जे० 2012, पेज–230, महेंद्र सिंह बनाम सिनियर सिटिजन (माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद)

(4) आर०डी 1995, पेज–50 सूर्यनारायण पाण्डेय बनाम एडिशनल सिविल जज ज्ञानपुर व अन्य (माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद)

(5) आर०एल०टी० 2007, पेज–821, जगप्रसाद बनाम उप संचालक चकबंदी (माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद)

(6) राजस्व निर्णय संग्रह 2003, पेज–510, प्रवीण सिंह बनाम राजस्व परिषद (माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद)

(7) आर०डी 1984, पेज–337, त्रिभुवन नाथ सिंह बनाम गांव सभा

(8) आर०डी 1995, पेज–25 हबीब बुल्लाह बनाम मो० यासीन (माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद)

14. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

निष्कर्ष

15. **निस्तारण वाद बिंदु संख्या–01**

वाद बिंदु संख्या–01 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या विवादित भू–खंड ए बी सी डी रास्ते की जमीन है और विवादित भू–खंड में स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी वादी है?

उक्त वाद बिंदु को साबित करने का भार वादी पर है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि वादी को अपने द्वारा प्रस्तुत तथ्य को सारवान साक्ष्य से साबित करना होता है। वादी प्रतिवादी के कमजोरी का लाभ नही उठा सकता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 में यह उल्लेख किया गया है कि–

"जो कोई न्यायालय से चाहता है कि वह किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय ले जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है जिन्हें वह प्रख्यात करता है, उसे साबित करना होगा कि वह उन तथ्यों का अस्तित्व है।"

जो कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध होता है , तो यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है।

वादीगण द्वारा उक्त प्रकरण में याचित अनुतोष यह है कि जरिये डिक्री हुक्म–ए–इम्तिनाई बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय से पारित की जाये कि वादपत्र की नक्शा नजरी में दर्शित विवादित भूमि ए बी सी डी में स्थित रास्ते को बंद न करें और उसमें स्थित दरख्तान बांस कोठ व घूर में किसी प्रकार की मुदाखलत ना करें, मड़हा क्षतिग्रस्त न करें और उनकी यथास्थिति बनाये रखे।

संक्षेप मे वादपत्र 6 क में वादीगण द्वारा यह कथन किया गया है कि विवादित भूमि नंबर 816 जो वादपत्र की नक्शा नजरी में ए बी सी डी से प्रदर्शित है पर पच्चीस साल से वादी संख्या 01 का दरख्तान, कोठ बांस, मड़हा व घूर आदि कायम चला आ रहा है। उक्त विवादित भूमि में नीब, बैर, बेल व अमरूद के पेड़ वादी संख्या 01 के द्वारा लगाये गये है और जमीन से एक रास्ता भी निकल रहा है जो नक्शा नजरी में दर्शित है। दिनांक 11/03/1995 को प्रतिवादीगण द्वारा धमकी दी गयी कि वह उक्त विवादित भूमि पर स्थित दरख्तान, बांस कोठ, मड़हा उजाड़ देंगे

और दिनांक 12/03/1995 उनके यथास्थिति कायम रखने से इंकार के उपरांत वाद कारण उत्पन्न हुआ। यह दावा वादीगण द्वारा रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी (representative capacity) में वास्ते रास्ता दायर किया गया और पर्सनल कैपेसिटी (personal capacity) में अन्य अनुतोष हेतु दायर किया गया है। प्रतिवादी संख्या–03 द्वारा अपने जवाब दावा 52 क में यह कथन किया है कि विवादित भूमि पर 25 साल से वादी संख्या 01 का कोई भी दरख्तान , बांस कोठ,मड़हा, घूर कायम नही है और कोई रास्ता भी नही रहा है। उक्त विवादित भूमि में प्रतिवादी संख्या–03 का कोठ बांस, दरख्तान, नीम, अमरूद, बेल आदि स्थित है तथा बांस कोठ , दरख्तान के फल–फूल व लकड़ी से प्रतिवादी संख्या –03 लाभान्वित होते आ रहे है। आराजी में मड़हा 30 वर्ष पुराना प्रतिवादी संख्या–03 ने बनवाया था जिस पर वह काबिज दाखिल है। प्रतिवादी संख्या–03 का कब्जा दखल संपूर्ण आराजी पर कायम चला आ रहा है। विवादित भूमि में कोई रास्ता नही है। आ०नं० 816 रकबा 3 बिस्वा 15 धूर मौजा ख्योखर राजस्व अभिलेख में नवीन परती के रूप में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या –03 के आराजी संख्या 386 में से ग्राम पंचायत द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आम रास्ता निकाला गया था जिस पर ग्राम पंचायत ख्योखर द्वारा 386 नंबर के बदले में आ०नं० 816 रकबा 03 बिस्वा 15 धूर प्रतिवादी संख्या 03 को दे दिया गया था। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने जवाबदावा कागज संख्या–113 क में यह कथन किया गया है कि भूमि संख्या 816 रकबा 03 बिस्वा 15 धूर खतौनी में नयी परती तथा जोत आकार पत्र 41 क में सामान्य आबादी हेतु सुरक्षित है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 03 की भूमि संख्या 386 से सड़क निकालना अनिवार्य था जो सार्वजनिक हित में था दिनांक 15/12/1993 को गांव सभा द्वारा प्रस्ताव पारित करते हुए भूमि संख्या 386 से जो रकबा 3 बिस्वा 15 धूर लिया गया उसके बदले भूमि संख्या –816 जो 3 बिस्वा 15 धूर था उसे प्रतिवादी संख्या 03 के भूमि से Exchange कर दिया गया। विधि व्यवस्था **रत्नागिरी नगर परिषद बनाम गंगाराम नारायण अंबेडकर (2020)7 SCC 275** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधिक मत प्रकट किया गया है कि–

"The first appellate Court committed palpable error in not keeping in mind that the initial burden of proof was on the plaintiffs to substantiate their cause for actionable nuisance, which they had failed to discharge. In such a

case, the weakness in the defence cannot be the basis to grant relief to the plaintiffs and to shift the burden on the defendants, as the case may be." अतः वादी को अपना दावा स्वयं साबित करना होता है उसे प्रतिवादी की कमजोरी का लाभ नहीं दिया जा सकता।

वादीगण द्वारा वादपत्र की धारा–2 में यह कथन किया गया है कि विवादित भूमि संख्या–816 मौजा ख्योखर, जो नक्शा नजरी वाद पत्र में ए बी सी डी से दर्शित है, में 25 वर्ष से वादी संख्या–1 के दरख्तान, कोठ बांस, मड़हा व घूर आदि कायम है। वादी संख्या 01 द्वारा लगाए गए नीब, बैर, बेल व अमरूद के पेड़ स्थित हैं और उस में एक रास्ता भी है। वादी संख्या 01 जगदीश नारायण द्वारा बतौर साक्षी पी० डब्ल्यू०–1 अपनी जिरह दिनांकित 06/07/2011 में स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि , " आ०नं० 816 रकबा 3 बिस्वा 15 धूर मौजा ख्योखर का इंतखाब मैनें दावा दाखिल करते समय दाखिल किया है। उपलब्ध कागज 13ग दिखाया गया तो साक्षी ने देखकर कहा कि आ०नं० 816 रकब 3 बिस्वा 15 धूर मौजा ख्योखर खतौनी में नवीन परती दर्ज है।" जिरह दिनांकित 14/12/2012 में पी०डब्ल्यू०–01 द्वारा यह कथन किया गया है कि , **"विवादित नंबर 816 है। इसका संपूर्ण रकबा 3 बिस्वा 15 धूर है। राजस्व अभिलेख में यह सुरक्षित आबादी दर्ज है। विवादित आ०नं० 816 खसरा–खतौनी में नवीन परती के रूप में दर्ज है। खसरा खतौनी में नवीन परती का इंद्राज चकबंदी के बाद से ही अंकित चला आ रहा है। नवीन परती के खाते में अंकित भूमि उत्तर प्रदेश राज्य/गांव सभा की संपत्ति होती है। विवादित भूमि उत्तर प्रदेश राज्य/गांव सभा की भूमि है।"** फेहरिस्त 12ग के माध्यम से स्वयं वादी द्वारा दाखिल प्रमाणित खतौनी कागज संख्या 13ग, फेहरिस्त 407ग के मध्यम से दाखिल खतौनी फसली वर्ष 1425 से 1430 कागज संख्या 409ग/2 और प्रतिवादी संख्या–03 द्वारा फेहरिस्त 404ग के माध्यम से दाखिल प्रमाणित खसरा कागज संख्या 405ग में विवादित भूमि नवीन परती के रूप में अंकित है। विधि व्यवस्था **गिरधर व अन्य बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश इलाहाबाद व अन्य (2008) 105 आर०डी० 605** में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जब तक अन्यथा सिद्ध न हो, कोई संपत्ति यदि किसी के नाम दर्ज है तो उसी की मानी जायेगी। विधि व्यवस्था **माता शिरोमणि बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य सेकेंड अपील संख्या 1284/2018** निर्णय दिनांकित 09 सितंबर 2022 भी उल्लेखनीय है जिसमें

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह अवधारित किया गया है कि विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में नवीन परती के रूप में दर्ज है जो गांव सभा की भूमि होती है इसलिए वादी का उक्त भूमि पर कोई भी अधिकार नही होगा। उक्त वाद में वादी संख्या–01 द्वारा बतौर पी०डब्ल्यू०–01 अपनी जिरह दिनांकित 14/12/2012 में यह स्वीकार किया गया है कि विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में नवीन परती के रूप में दर्ज है जो गांव सभा की संपत्ति होती है और ऐसा कोई समुचित साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि विवादित भूमि आराजी संख्या–816 जो वादपत्र की नक्शा नजरी में ए बी सी डी से दर्शित पर वादी संख्या–01 का विधिक अधिकार किस प्रकार उत्पन्न होता है।

वादीगण द्वारा विवादित भूमि ए बी सी डी में स्थित कथित रास्ते के संबंध में अनुतोष याचित किया है कि प्रतिवादीगण उक्त रास्ते को बंद न करे। वादीगण द्वारा वादपत्र 6 क की नक्शा नजरी में यह प्रदर्शित किया गया है कि रास्ते के उत्तर तरफ मड़हा स्थित है किंतु बतौर पी०डब्ल्यू०–01 अपनी जिरह दिनांकित 06/10/2012 में वादी संख्या 01 जगदीश नारायण द्वारा यह कथन किया गया है कि–"रास्ते के दक्षिण मड़हा मैंने वाद पत्र में दिखाया है ... यह मड़हा उत्तर कैसे लिखा गया है यह हमें नही मालूम।" जिरह दिनांकित 03/05/2012 में साक्षी पी० डब्ल्यू०–1 द्वारा यह कथन किया गया है कि– "मौके पर रास्ता बारह से पंद्रह फुट चौड़ा है। रास्ता मेरे दालान के ठीक सामने से जाता है। यह रास्ता विवादित नंबर की दक्षिण मेड़ से करीब तीन लाठा उत्तर स्थित है।" फिर पुनः वादी द्वारा वाद पत्र दिखाए जाने के उपरांत यह कथन किया गया कि –**"जो वाद पत्र में विवादित स्थान के जानिब दक्षिण रास्ता दर्शित है, सही है। जो उपरोक्त बयान दिया कि दक्षिणी मेड से तीन लाठा उत्तर विवादित स्थल में रास्ता है वह बयान मेरा गलत है।"** इस प्रकार वादी द्वारा कथित रास्ता विवादित भूमि में कहां स्थित है इस बात को लेकर स्वयं वादी के कथन में ही विरोधाभास है। विधि व्यवस्था **काशी नाथ बनाम जग नाथ (2003)8 एस०सी०सी० 740 में माननीय उच्चतम न्याययालय** द्वारा यह सिद्धांत पारित किया गया है कि यदि अभिवचनों और साक्ष्य में विरोधाभास है तो उसका प्रभाव कहने वाले के विपरीत पड़ता है। वादी द्वारा अपने वादपत्र में विवादित भूमि ए बी सी डी की लंबाई चौडाई अंकित नही की गयी है और ना ही कथित रास्ते की लंबाई चौड़ाई बतायी है। बतौर पी०डब्ल्यू० –01 अपनी जिरह दिनांकित 14/07/2016 में वादी संख्या–01 जगदीश नारायण द्वारा यह कथन किया गया

है कि– "विवादित आराजी की लंबाई चौड़ाई नही बता सकता हूं।" जिरह दिनांकित 03/05/2012 में पी०डब्ल्यू०–01 द्वारा यह कथन किया गया है कि "मौके पर रास्ता बारह से पंद्रह फुट चौड़ा है।" जिरह दिनांकित 06/10/2012 में यह कथन किया गया है कि "रास्ता दस से बारह फुट चौड़ा है।" इस प्रकार विवादित भूमि ए बी सी डी में वादी द्वारा कथित रास्ता कहां स्थित है तथा रास्ते की पैमाईश क्या है इस बात को लेकर स्वयं वादी के कथन में ही विरोधाभास है। विवादित स्थल व उसमें स्थित रास्ते की पैमाईश स्पष्ट रूप से अंकित नही है। अतः कथित रास्ता पहचान योग्य नही है। इस सम्बन्ध में प्रतिवादी द्वारा दाखिल विधि व्यवस्था **फिरंगी बनाम देवी प्रसाद व अन्य आर०डी०, 1993 पेज संख्या–59 सेकेंड अपील नंबर 946 of 1989 दिनांकित दिसंबर 22, 1992** उल्लेखनीय है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह अवधारित किया गया है कि–

"Under such circumstances when the very identity dimension and situation of land in suit was not specified or established the court below had no jurisdiction to proceed to determine the rival claim of parties to the some or any portion thereof nor could have passed decree capable of being enforced."

वादी द्वारा विवादित भूमि संख्या–816 जो नक्शा नजरी वाद पत्र में ए बी सी डी से प्रदर्शित है के दक्षिण की तरफ रास्ता होने की बात का कथन किया है किंतु पत्रावली पर दाखिल प्रमाणित उद्धरण खसरा ग्राम ख्योखर कागज संख्या –405 ग में भूमि संख्या–816 बतौर नवीन परती दर्ज है और उस में रास्ता अंकित नहीं है। भारतीय विधि का सर्वमान्य सिद्धांत है कि , "Documentary evidence prevails over oral evidence." मौखिक साक्ष्य पर दस्तावेजी साक्ष्य अधिभावी होता है।

वादीगण द्वारा वादपत्र में यह कथन किया गया है कि विवादित स्थल में मड़हा स्थित है जो वादपत्र की नक्शा नजरी में भी प्रदर्शित किया गया है और उसके संबंध में अनुतोष भी याचित है किंतु बतौर पी०डब्ल्यू० –01 अपनी जिरह दिनांकित 06/10/2012 में वादी संख्या –01 द्वारा कथन किया गया है कि **"विवादित स्थल में जो मड़हा मैनें दिखाया है वह दावा दाखिल करने से पहले कब से है , मुझे नही मालूम। इस मड़हे की लंबाई चौड़ाई मैं नही बता सकता हूं। ... मौके पर मड़हा**

गिरा पड़ा है। मौके पर मड़हे का अवशेष है। ... यह मड़हा दावा दायर करने के पहले ही गिर गया था। ... साक्षी को उसका वादपत्र दिखाया गया तो गवाह ने कहा कि इसका उल्लेख दावा में मैनें नही किया है। " कमीशन रिपोर्ट 15 ग में भी मड़हा गिरा हुआ बताया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष की याचना की गयी है। चूंकि स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष साम्य पर आधारित होता है , उसके सम्बन्ध में साम्य विधि के निम्न सिद्धांत न्यायसंगत है–

1."One who seeks equity must do equity."

2."He who comes into equity must come with clean hands."

वादी संख्या –01 द्वारा स्वयं जिरह दिनांकित 06/10/2012 में यह स्वीकार किया गया है कि दावा दायर करने से पूर्व मड़हा गिरा हुआ था और इस बात का उल्लेख उसके द्वारा वादपत्र में नही किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नही आया है। माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **गुजरात बोल्टिंग कंपनी लिमिटेड बनाम कोका कोला कंपनी 1995(5) एस०सी०सी० 545 एण्ड दलपत कुमार बनाम प्रह्लाद सिंह ए०आई०आर० 1993 एस०सी० 276** में यह अवधारित किया गया है कि–

"Conduct of the plaintiff will be yet another ground for refusing interim injunction order. It being an equitable relief the person claiming equity must come with clean hand. In case of suppression of facts of fraud/deception being played upon the court the relief can be refused."

वादीगण द्वारा वादपत्र 6 क में यह कथन किया गया है कि विवादित भूमि में वादी के नीम , बैर, बेल, अमरूद के पेड़ है। वादी संख्या –01 द्वारा बतौर पी०डब्ल्यू०–1 अपनी जिरह दिनांकित 14/07/2016 में उक्त पेड़ो के अतिरिक्त शीशम के पेड़ होने की बात का कथन किया गया है जो वादी के बाबा द्वारा लगाए गए थे। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्षी पी०डब्ल्यू० –02 राजकुमार ने अपनी जिरह दिनांकित 23/10/2018 में यह कथन किया है कि रास्ते के उत्तर विवादित जमीन में एक पेड़ नीम, तीन पेड़ शीशम, एक बांस कोठ स्थित है। वादी द्वारा अपने वादपत्र में शीशम के पेड़ के सम्बन्ध में कोई कथन नही किया गया है। अतः वादी द्वारा वादपत्र में प्रस्तुत अभिवचनों व जिरह में किये कथन में विरोधाभास है।

वादी संख्या–01 द्वारा बहस के स्तर पर विधि व्यवस्था **रामे गोवड़ा (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम एम वाराडप्पा नायडू(मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधियों– 2017 (134) आर०डी० उच्च न्यायालय इलाहाबाज व राजेश्वर गुप्ता एवं अन्य बनाम श्रीमती गौरी देवी एवम् अन्य 2017 (134) आर०डी 36 उच्च न्यायालय इलाहाबाद** को आधार बनाते हुए विवादित भूमि में Settled Possession होने का कथन किया गया है। उक्त विधि व्यवस्थाओं का मेरे द्वारा ससम्मान अवलोकन किया गया। जिरह दिनांकित 14/12/2012 में वादी संख्या–01 द्वारा स्वयं बतौर पी०डब्ल्यू०–01 यह स्वीकार किया गया है कि भूमि संख्या –816 राजस्व अभिलेख में नवीन परती के रूप में दर्ज है जो गांव सभा की भूमि होती है। उक्त विवादित भूमि में वादी संख्या–01 अपना अधिकार व विधिक कब्जा साबित करने में असमर्थ रहा है। इस स्तर पर विधि व्यस्था **महादेव सावलाराम शेल्के वह अन्य बनाम पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जे०टी० 1995 (2) एस०सी० 504** उल्लेखनीय है जिस में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि–

"It is settled law that no injunction could be granted against the true owner at the instance of persons in unlawful possession."

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा विधि व्यवस्था **आशु सोनकर बनाम फिफ्थ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 1999(4) ए०डब्ल्यू०सी० 3107** में यह विधिक मत प्रकट किया गया है कि –

"There is no doubt that a person having no right to remain on the property, cannot be dispossessed by the owner of the property except the recourse to law. It is one thing to say a person can not be dispossessed even if he has no right to remain on the property except through recourse to law. It is another thing to say that a trespasser can maintain an injunction against the rightful owner. Even if a person can claim that he cannot be evicted except through law. But still then he cannot maintain an injunction as a trespasser against the rightful owner."

अतः वादी संख्या –01 द्वारा विवादित भूमि आराजी संख्या –816 जो वादपत्र की नक्शा नजरी में ए बी सी डी से दर्शित है और राजस्व अभिलेख में नवीन परती के रूप मे दर्ज है पर अपना अधिकार व विधिक कब्जा साबित करने हेतु समुचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए है।

वादी संख्या–01 द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा अपने अभिवचनो में उल्लिखित एक्सचेंज के अनुसार उक्त आराजी संख्या –816 प्रतिवादी संख्या–03 को उसके स्वामित्व की भूमि आराजी संख्या–386 के बदले में परगनाधिकारी ज्ञानपुर के आदेश दिनांकित 15/02/1995 कागज संख्या 87ग से विनिमय की गयी किंतु पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या –17ग न्ययालय अपर आयुक्त/न्यायिक विंध्यांचल मण्डल मीरजापुर अपील सं० 65/2 जगदीश नारायण बनाम रामअयुग आदि में पारित निर्णय दिनांक 08/12/2004 के अनुसार आदेश दिनांक 15/02/1995 निरस्त किया गया था, जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील न्यायालय राजस्व परिषद उ०प्र० इलाहाबाद (आदेश दिनांकित 19/05/2015 पत्रावली पर कागज संख्या 319ग) योजित की गयी थी जो कि निरस्त की गयी। अतः कथित एक्सचेंज के आधार पर विवादित भूमि में प्रतिवादी संख्या–03 का अधिकार ऊपर लिखित परिस्थितियों में समाप्त हो चुका है। उपरोक्त प्रपत्रों के अवलोकन के उपरांत न्यायालय का यह अभिमत है कि विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में नवीन परती के रूप में अंकित है। कथित एक्सचेंज के सक्षम न्यायालय द्वारा निष्प्रभावी करार दिए जाने के उपरांत भूमि पूर्व स्थिति के अनुसार नवीन परती के रूप में गांव सभा के प्रबंधन में आएगी। वादी संख्या–01 का विवादित भूमि में क्या अधिकार है और उनका कब्जा किस प्रकार विधिक कब्जा है यह साबित करने में वादी असमर्थ है और मात्र प्रतिवादी की कमजोरी के आधार पर वादी को याचित अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता है। उपरोक्त विश्लेषण के संबंध में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि सिविल वाद के साक्ष्य के मूल्यांकन का आधार प्रीपोंडरेंस का प्रोबेबिलिटी (**preponderance of probability**) के सिद्धांतों पर आधारित होता है अर्थात प्रस्तुत किए गए तथ्यों में जो तथ्य सबसे अधिक संभव है उसी के आधार पर सिविल वाद का निर्धारण होता है। विवादित भूमि आ०नं० 816 जो वाद पत्र की नक्शा नजरी में ए बी सी डी से प्रदर्शित है राजस्व अभिलेख में बतौर नवीन परती दर्ज हैं, वादी संख्या–01 द्वारा कथित रास्ता खसरा ग्राम ख्योखर कागज संख्या 405ग में अंकित नहीं है

और रास्ते की पैमाईश व विवादित भूमि में उक्त रास्ते की स्थिति के बाबत स्वयं वादी के कथन में ही विरोधाभास है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी के अभिकथनों में ही विरोधाभास है तथा समस्त तथ्यों , परिस्थितियों, साक्ष्य और विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए वाद बिंदु संख्या –01 वादीगण के विरुद्ध निस्तारित किए जाने योग्य है।

अतः वाद बिंदु संख्या–01 वादीगण के विरुद्ध निस्तारित किया जाता है।

16. **<u>निस्तारण वाद बिंदु संख्या–02</u>**

वाद बिंदु संख्या–02 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद में आवश्यक पक्षकार न बनाये जाने का दोष है?

उक्त वाद बिंदु को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम सभा ख्योखर को फरीक मुकदमा नही बनाया गया है जबकि विवादित भूमि राजस्व अभिलेखो में नवीन परती ग्राम पंचायत ख्योखर की रही है इसलिए दावे में नॉन ज्वाइंडर नेसेसरी पार्टीज का दोष विद्यमान है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत वाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध हुक्म–ए–इम्तिनाई के अनुतोष हेतु योजित किया गया है। वादी द्वारा दिनांक 16/07/1998 को गांव सभा ख्योखर को पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 17/10/1998 द्वारा स्वीकार किया गया और तदोपरांत वादी द्वारा वांछित संशोधन करते हुए ग्राम सभा ख्योखर को पक्षकार बनाया गया। अतः प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार न बनाये जाने का दोष विद्यमान नही है। उक्त वाद बिंदु वादीगण के पक्ष में निस्तारित किए जाने योग्य है।

अतः वाद बिंदु संख्या 02 वादीगण के पक्ष में निस्तारित किया जाता है।

17. **<u>निस्तारण वाद बिंदु संख्या–03</u>**

वाद बिंदु संख्या–03 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दावा वादी धारा–331 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम, 1950 से बाधित है?

उक्त वाद बिंदु को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादी

संख्या–01 द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विवादित भूमि राजस्व अभिलेख मे नवीन परती के रूप में दर्ज है इसलिये उसमें स्वत्व सम्बन्धित कोई अधिकार देने का क्षेत्राधिकार दीवानी न्यायालय को नही है। प्रतिवादी संख्या –01 द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद में वादी टाइटल निर्धारित कराना चाहता है। धारा –331 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम, 1950 ऐसे वाद का संज्ञान लेने से प्रतिबंधित करता है जिनका संज्ञान अधिनियम के अनुसूची –2 के कॉलम 4 में दिये गये न्यायालय द्वारा लिया जाना है। वादी द्वारा विवादित भूमि पर 25 वर्ष से अपने कथित कब्जे को आधार बनाते हुए व रास्ते के बाबत सार्वजनिक हित हेतु रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु वाद योजित किया गया है। वादी अपने स्वामित्व की घोषणा नहीं करवाना चाह रहा है। अतः दावा वादी धारा –331 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम,1950 से बाधित नही है। वाद बिंदु संख्या–03 वादीगण के पक्ष में निस्तारित किए जाने योग्य है।

अतः वाद बिंदु संख्या–03 वादीगण के पक्ष मे निस्तारित किया जाता है।

18. <u>निस्तारण वाद बिंदु संख्या–**04**</u>

वाद बिंदु संख्या–04 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दावा वादी आदेश 1 नियम 8 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बाधित है?

प्रतिवादी संख्या–03 द्वारा अपने लिखित कथन कागज संख्या–52 क में यह कथन किया है कि विवादित स्थल पर रास्ता कभी नही था। विवादित स्थल पर बनावटी रास्ता दिखाते हुए व सार्वजनिक हित का तर्क देते हुए वादी द्वारा दावा आदेश 1 नियम 8 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दायर किया गया है। दावा वादी आदेश 1 नियम 8 दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत पोषणीय नही है।

वादीगण द्वारा वादपत्र 6 क में यह कथन किया गया है कि दावा वादीगण रास्ते के बाबत रिप्रेजेंटेटिव केपेसिटी (representative capacity) में सार्वजनिक हित हेतु दायर किया गया है व अन्य अनुतोष के सम्बन्ध में वादी संख्या–01 द्वारा पर्सनल कैपेसिटी (personal capacity) में दायर किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **कल्याण सिंह बनाम श्रीमती छोटी व अन्य 1990 ए०आई०आर० 396** में आदेश 1 नियम 8 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वाद योजित करने के सम्बन्ध में निम्निलिखित महत्वपूर्ण बिंदु

उल्लिखित किये गये है–

1. The parties must be numerous.

2. They must have same interest in the suit.

3.Permission or direction to file the representative suit must be given by the court.

4. Notice must be issued to the parties who are proposed to be represented by the suit.

आदेश 01 नियम 8(2) दीवानी प्रक्रिया संहिता में यह उल्लिखित है कि न्यायालय ऐसे प्रत्येक मामले में जहां उपनियम 1 के अधीन अनुज्ञा या निर्देश दिया गया है, इस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों को या तो व्यक्तिगत तामील करा कर या जहां व्यक्तियों की संख्या या किसी अन्य कारण से ऐसा तामिला युक्तियुक्त रुप से साध्य नहीं है वहां लोक विज्ञापन द्वारा, जैसा भी न्यायालय हर एक मामले में निर्दिष्ट करें, वाद के संस्थित किए जाने की सूचना वादी के खर्चे पर देगा। विधि व्यवस्था **मुन्नी देवी व अन्य बनाम सतगुरू दयाल टण्डन व अन्य ए०आई०आर० 1973 ए०आई०आई० 281** में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह विधिक मत प्रकट किया गया है कि–

"As the other persons who would be represented would be bound by the decree passed in the suit it is imperative that the two conditions provided in Rule 8 of Order 1, should be complied with, namely, (1) the permission of the court should be obtained and (2) the court should, at the expense of the plaintiffs, issue notice of the institution of the suit to all such persons either by personal service or where from the number of persons or any other cause such service is not reasonably practicable, by public advertisement, as the Court in each case may direct. Thus, Order 1, Rule 8 requires that when a plaintiff brings a suit in his repesentative capacity he must first obtain the leave of the court to bring such a suit and when the leave is granted the court

shall issue notice that such a suit has been instituted. The provisions of Rule 8 as to the issue of notice are peremptory and the court is bound to issue notice as required by the rule."

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र –3 ग के माध्यम से वाद रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में दायर करने की अनुमति याचित की गयी थी जो न्यायालय द्वारा 21/03/1995 को प्रदान कर दी गयी थी। आदेश 1 नियम 8 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत हितबद्ध सभी व्यक्तियों को नोटिस दिये जाने के प्रावधान के अनुपालन के सम्बन्ध में पत्रावली पर ना तो कोई उल्लेख है और ना ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त विधि व्यवस्था के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेश 1 नियम 8 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सभी हितबद्ध व्यक्तियों को नोटिस दिया जाना अनिवार्य है जिसका अनुपालन वादीगण द्वारा नही किया गया है। अतः दावा वादीगण जो रास्ते के बाबत सार्वजनिक हित हेतु रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में दायर किया गया है, में आदेश 1 नियम 8 दीवानी प्रक्रिया संहिता में उल्लिखित नोटिस के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया है। अतः दावा वादी जो रास्ते के बाबत रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में दायर किया गया है, अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को नोटिस प्रेषित करने के अभाव में आदेश 1 नियम 8 दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधान से बाधित है। वाद बिंदु संख्या–4 वादीगण के विरूद्ध निस्तारित किए जाने योग्य है।

अतः वाद बिंदु संख्या 4 वादीगण के विरुद्ध निस्तारित किया जाता है।

19. **<u>निस्तारण वाद बिंदु संख्या–05</u>**

वाद बिंदु संख्या–5 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद मालियत कम है एवं प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

उक्त वाद बिंदु का निस्तारण दिनांक 02/01/2001 को पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जा चुका है जो इस निर्णय का अंश होगा।

20. **<u>निस्तारण वाद बिंदु संख्या–06</u>**

वाद बिंदु संख्या 06 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दावा वादी दफा 80 सी०पी०सी० से बाधित है?

वादी द्वारा विवादित आराजी पर स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष की याचना

की गयी है। प्रतिवादी संख्या–01 की ओर से उक्त वाद बिंदु को साबित करने हेतु कोई तर्क प्रस्तुत नही किया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि मामला अर्जेंट प्रकृति का होने के कारण वाद दायर करते समय कागज संख्या–5 ग के माध्यम से दफा–80 जा०दी० की नोटिस दिये जाने से छूट प्रदान करने की याचना की गयी जो न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 21/03/1995 के द्वारा प्रदान की गयी। दावा सन् 1995 से लम्बित है। इस स्तर पर प्रस्तुत वाद को धारा 80 जा०दी० की नोटिस न दिये जाने के कारण निरस्त किये जाने का कोई औचित्य नही है। वाद बिंदु संख्या–06 वादीगण के पक्ष में निस्तारित किये जाने योग्य है।

अतः वाद बिंदु संख्या–06 वादीगण के पक्ष में निस्तारित किया जाता है।

21. **<u>निस्तारण वाद बिंदु संख्या–07</u>**

वाद बिंदु संख्या–07 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दावा वादी धारा–106 उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1947 से बाधित है?

उक्त वाद बिंदु साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादी संख्या –01 द्वारा यह कथन किया गया है कि वादी द्वारा दावा दाखिल करने के बाद गांव सभा को फरीक मुकदमा बनाया और उसे नोटिस दिया जबकि कथित वाद कारण पहले से ही उत्पन्न हो चुका था। अतः धारा –106 उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1947 की मंशा का पालन न होने के कारण दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है।

वादी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 16/07/1998 को गांव सभा ख्योखर बजरिये ग्राम प्रधान को पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र 68 क वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 17/10/1998 द्वारा स्वीकार किया गया और तदोपरांत वादी द्वारा संशोधन करते हुए ग्राम सभा ख्योखर बजरिये ग्राम प्रधान को पक्षकार बनाया गया। धारा 106 उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1947 की नोटिस पूर्व में दिनांक 26/02/1998 को ही वादी द्वारा दी गयी थी और दो माह की अवधि दिनांक 26/04/1998 को ही पूर्ण हो चुकी थी। धारा 106 उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1947 के अनुपालन में गांव सभा को भेजी गयी नोटिस की रजिस्ट्री रसीद दिनांकित 26/02/1998 कागज संख्या 65 ग पत्रावली पर दाखिल है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।

न्यायालय के आदेश दिनांकित 17/10/1998 के अनुपालन में वादीगण द्वारा ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाया गया। पत्रावली व ग्राम सभा को प्रेषित नोटिस की रजिस्ट्री रसीद दिनांकित 26/02/1998 कागज संख्या 65 ग के अवलोकन के पश्चात न्यायालय का यह मत है कि वादीगण का दावा धारा 106 उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1947 से बाधित नही है। वाद बिंदु संख्या –07 वादीगण के पक्ष में निस्तारित किए जाने योग्य है।

अतः वाद बिंदु संख्या–07 वादीगण के पक्ष में निस्तारित किया जाता है।

22. **<u>निस्तारण वाद बिंदु संख्या–08</u>**

वाद बिंदु संख्या 08 इस आशय का विरचित किया गया है की क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को पाने का मुश्तहक है?

चूंकि वाद बिंदु संख्या 01 व 04 के निष्कर्ष के आधार पर वादीगण वाद पत्र में याचित अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है अतः न्यायालय की राय में वादीगण किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने के अधिकारी नही है। तदनुसार इस वाद बिंदु का निस्तारण वादीगण के विरूद्ध किया जाता है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, साक्ष्य, विधिक प्रावधानों एवं विधिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है वादीगण अपना वाद सिद्ध करने में पूर्ण रूप से असफल रहे है। फलतः दावा वादीगण निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

23. वादीगण का दावा मूल वाद संख्या 126/1995 विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है।

दिनांकः 11/08/2023

(शिंजिनी यादव)
अपर सिविल जज (जू०डि०) द्वितीय
भदोही–ज्ञानपुर

24. निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा आज खुलें न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित करके सुनाया गया। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 11/08/2023

(शिंजिनी यादव)
अपर सिविल जज (जू०डि०) द्वितीय
भदोही–ज्ञानपुर

Original Suit 126/1995 Jagdish Narayan & Others Vs. State & Others

Digitally signed by Shivjini Yadav
Date: 2023.08.17 15:19:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court